[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II SECTION 3(I)]

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training)

New Delhi, Pho December, 2015.

NOTIFICATION

G.S.R. No _____ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Jharkhand**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

- (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2015.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Jharkhand" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

"Jharkhand

- Jimiliana	
Senior Duty Posts under the State Government	117
Chief Secretary to Government	1
Development Commissioner	<u>'</u>
Member, Board of Revenue	<u></u>
Director General, Sri Krishna Institute of Public Administration	1
Principal Secretary	06
Principal Secretary to Governor	01
Principal Secretary to Chief Minister	01
Chief Electoral Officer	01
Agriculture Production Commissioner	01
Divisional Commissioner	05
Secretary to Government	22
Spl./Addl./Jt./Dy.Secretary	
Tribal Welfare Commissioner	22
Director Industries	01
I.G. Prison	01
I.G. Registration	01
State Transport Commissioner	01
Labour Commissioner	01
Registrar, Cooperative Societies	01

	District Magistrate/Collector/DC/ADC	24
	Settlement Officer/DDC/Chief Executive Officer	09
	Commissioner, Commercial Taxes	01
	Director, Panchayati Raj	01
	Director, Municipal Administration	01
	Director, Land Acquisition & Land Records	01
	Mission Director, National Rural Health Mission	01
	Director, Sarva Shisksha Abhiyan	01
	Commissioner, MNREGA	01
	Administrator, Swarn Rekha Multipurpose Project	01
	Director, Primary Education	01
	Director, Secondary Education	01
	Director, Social Welfare	01
	Director, Employment, Training and Skill Development	01
	Director, Sports	01
	Director, Tourism	01
1.	Total Senior Duty Posts	144=
2.		117
3.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	46
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	29
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5%	4
0.	of item 1 above	19
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	65
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	150
	Total Authorized Strength	215"

[File No. 11031/07/2015- AIS-II (A)]

(Rajiv Jain) Under Secretary, Government of India

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Jharkhand IAS Cadre was 208.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Jharkhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S.No.	GSR Nos.	Date
1.	808 E	21.10.2000
2.	809 E	21.10.2000
3.	443	03.12.2004
4.	78E	08.02.2008
5.	188 E	24.03.2009
6.	403 E	13.05.2010

To: The Manager, Government of India Press, Mayapuri, New Delhi.

(भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-3,(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक:2 दिसम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि.सं.------भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, "झारखंड" सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 है।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "झारखंड" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"झारखंड

राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद	117
सरकार के मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान	1
प्रधान सचिव,	06
राज्यपाल के प्रधान सचिव	01
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	01
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	01
आयुक्त, कृषि उत्पादन	01
मंडल आयुक्त	05
सरकार के सचिव	22
विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	22
जनजातीय कल्याण आयुक्त	01
उदयोग निदेशक	01

	्रु आई जी, जेल	01
J.	आई जी, पंजीकरण	01
-	राज्य परिवहन आयुक्त	01
<i>!</i>	श्रम आयुक्त	01
	सहकारी समितियों का पंजीयक	01
·	जिला मजिस्ट्रेट, समाहर्ता, डीसी, एडीसी	24
	बन्दोबस्त अधिकारी/डीडीसी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी	09
augusta sono contrato del Par	वाणिज्य कर आयुक्त	01
	निदेशक, पंचायती राज	01
	निदेशक, नगर निगम प्रशासन	01
	निदेशक, भूमि अधिग्रहण और भूमि रिकॉर्ड	01
	मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	01
	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	01
	आयुक्त, मनरेगा	01
	प्रशासन स्वर्ण रेखा बह्देश्यीय परियोजना	01
	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	01
	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	01
	निदेशक, समाज कल्याण	01
	निदेशक, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	01
	निदेशक, खेल	01
	निदेशक, पर्यटन	01
1.	कुल वरिष्ठ इ्यूटी पद	117
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद । के 40% से अधिक नहीं ।	46
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद । के 25% से अधिक नहीं ।	29
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्य्क्त मद । के 3.5% से अधिक नहीं ।	4
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद । के 16.5% से अधिक नहीं ।	19
6.	भारतीय प्रदशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत	65
	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से	
	अधिक नहीं ।	
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	150
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	215"

संख्या 11031/07/2015-अ.भा.से.-॥(क)

(राजीव जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व ""झारखंड" " के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 208 थी ।

टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ""झारखंड" संवर्ग के संदर्भ में निम्नितिखित सा.का.िन. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था:-

क्रम	सा.का.नि. संख्या	तारीख
संख्या		
1.	808 अ.	21.10.2000
2.	809 अ.	21.10.2000
3.	443	03.12.2004
4.	78अ.	08.02.2008
5.	188 अ.	24.03.2009
6.	403 अ.	13.05.2010

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली.